सं0 31035/1/2006–Fy(3)भाग
भारत सरकार
कृषि मंत्रालय
पशुपालन डेयरी एवं मात्स्यिकी विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली
दिनांक 01 जुलाई, 2015

<u>अपीलीय अधिकारी की कार्यवाही</u>

विषय : कुमारी गीता सिंह, निवासी मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत दायर प्रथम अपील।

कु0 गीता सिंह, निवासी मुरादाबाद उ0 प्र0 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रधानमंत्री कार्यालय में सं0 आरटीआई/5752/2015–पीएमआर दिनांक 12–5–2015 के अंतर्गत पंजीकृत उनके मूल आवेदन के संदर्भ में दायर यह प्रथम अपील है!

2. अपीलीय अधिकारी ने मामले की जॉच की, एवं यह पाया गया है कि, कुमारी गीता सिंह के RTI आवेदन दिनांक 12–5–2015 का निस्तारण इस विभाग के संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र संख्या 31035/1/2006-Fy(3) दिनांक 8–6–2015 द्वारा किया जा चुका है जिसकी प्रति संलग्न है!

3. उपरोक्त अपील तदानुसार निस्तारित की जाती है!

भवदीय

संलग्नकः उपरोक्तानुसार!

01/7/2015

(पी0 आर0 मेश्राम)
निदेशक (मात्स्यिकी) एवं अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 23070279

कु0 गीता सिंह,
प्रकाश नगर लाइनपार,
गली न0 3/6, मुरादाबाद,
उत्तर प्रदेश – 244 001

<u>**प्रतिलिपि:**</u>

(i) अनुभाग अधिकारी, आर .टी. आई सेल, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को डायरी सं0 730/2015- RTI (ADF) दिनांक 22-6-2015 के संदर्भ में प्रेक्षित।

(ii) एन. आई. सी. कक्ष सं0 436 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली को विभाग की वेबसाइट पर इस जवाब को अपलोड करने के अनुरोध के साथ प्रेक्षित।